बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

संकल्प

विषय : केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हों तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्य के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हों और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं, उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान रू0 5,00,000/– (पाँच लाख रूपये) से बढ़ाकर रू0 11,00,000/– (ग्यारह लाख रूपये) तथा उनके अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ करने के संबंध में।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हो तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हो और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं, उनके निकटतम आश्रित को गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 24 दिनांक, 07.01.2015 के द्वारा 5,00,000/–रू0 (पांच लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया था।

2. देश की सीमा/आतंरिक सुरक्षा पर सदैव तत्पर रहने, चौकसी के साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों का इतिहास सदियों से सराहनीय रहा है। देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को बनाये रखने में अहम भूमिका निभाने वाले केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के कर्मी अपने आन–बान एवं शान में अग्रगण्य है। वर्त्तमान में सीमा पर एवं आतंरिक सुरक्षा के मद्देनजर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हों तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हों और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं, के निकटतम आश्रितों को पूर्व में दी जा रही अनुग्रह अनुदान की राशि को 5,00,000/–रू0 (पाँच लाख) रूपये से बढ़ाकर 11,00,000/–रू0 (ग्यारह लाख) रूपये करने के साथ–साथ केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के शहीद के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

(क) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हों तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हों और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं, के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) रूपये से बढ़ाकर रू0 11,00,000/– (ग्यारह लाख) रूपये करने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ सम्पन्न किया जायेगा।

(ग) इस हेतु पूर्व में निर्गत गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 24 दिनांक, 07.01.2015 द्वारा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के लिए देय अनुग्रह अनुदान की राशि को यथा संशोधित समझा जाय। यह संशोधन दिनांक, 01.02.2018 से प्रभावी होगा। शेष शर्त्ते संकल्प संख्या 24 दिनांक, 07.01.2015 के अनुरूप होगी। युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में सीमा पर शहीद होने वाले सीमा सुरक्षा बल के बिहार निवासी कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रू0 11,00,000/–(ग्यारह लाख रूपये) मात्र देने की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या 1101 दिनांक, 30.12.2016 यथावत रहेगा।

.....2

3. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें, लघु शीर्ष–092–अन्य कार्यालय उप शीर्ष–0002–स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद–मुख्यालय प्रभार माँग संख्या–22, विपत्र कोड–22–2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई शीर्ष 37 01 अनुग्रह अनुदान मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि की निकासी सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेगें।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–4, विंग नं0–7, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली–110066/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सै0क0नि0/21/26/2018/561/पटना–15, दिनांक 12 जून 2018
प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रतियॉ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : सै0क0नि0/21/26/2018/561/पटना–15, दिनांक 12 जून 2018
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–4, विंग नं0–5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली–110066/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011/महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, 10, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 13, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल, ब्लॉक–1, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ब्लॉक–2, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी ब्लॉक–5, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/ महानिदेशक, असम राईफल्स, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव 11.6.18

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

संकल्प

विषय :युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रितों एवं विकलांग सैनिकों को अनुग्रह अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 12(45)/2003/US (WE)/D(Res) दिनांक 15.10.2003 द्वारा राज्य में युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिकों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि भुगतान करने हेतु नीति निर्धारण करने पर विचार करने का निदेश दिया गया था। जुलाई 1999 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न राज्यों में सैनिकों के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार द्वारा गठित समिति की पहली बैठक अगस्त 1999 में आयोजित की गयी थी। बैठक में अन्य बिन्दुओं के अलावा राज्य सरकारों द्वारा "एक्शन" में मारे गये सैनिकों को 5,00,000/–रू0 (पाँच लाख रूपये) की दर से अनुग्रह अनुदान देने की अनुशंसा की गयी थी। उक्त अनुशंसा के आधार पर युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद/विकलांग सैन्य कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था।

2. केन्द्र सरकार, रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा एवं अन्य राज्यों की भाँति राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) तथा ऐसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी जिनकी अपंगता 40 % या उससे अधिक हो तथा विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से विमुक्त हुए हों को 50,000/–रू0 (पचास हजार रूपये) अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें लघु शीर्ष 092–अन्य कार्यालय–उपशीर्ष 0002–स्थल, जल और वायु सैनिकों का पर्षद–मुख्यालय प्रभार मॉग संख्या 22 विपत्र कोड एन 2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई 31 01 सहायक अनुदान के मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होगी :–

(क) केवल बिहार के स्थायी निवासी सैनिकों (सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) के आश्रित ही अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे।

(ख) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिकों के निकटतम आश्रित को ही अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा।

(ग) अनुग्रह अनुदान को स्वीकृति मृत सैनिक के उत्तराधिकारी का निर्धारण अधिमानता कम से निम्नलिखित में से किसी एक के पक्ष में किया जायेगा :–

(i) पत्नी

(ii) नाबालिग पुत्र जिसमें सौतेला पुत्र भी शामिल है।

(iii) अविवाहित/विधवा पुत्री जिसमें सौतेली पुत्री भी शामिल है।

(iv) माता

(v) पिता

(vi) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित/विधवा बहन।

किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसमें अधिमानता के कम में अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में दावे की स्वीकृति दी जायेगी।

(घ) ऐसे शहीद/विकलांग सैनिकों का नाम सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के मुख्यालयों/संबंधित अभिलेख कार्यालयों से प्राप्त होने की दशा में ही अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(च) ऐसे विकलांग सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी जिनकी अपंगता 40 % या उससे अधिक हो तथा विकलांगता के कारण सैन्य सेवा से विमुक्त सैनिक ही अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे।

(छ) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मृत्यु होने के संबंध में सेना मुख्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र यथेष्ट होगा।

5. यह सुविधा संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी होगा।

Sp

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज़पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियॉ महालेखाकार बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली – 110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट व्लॉक – IV, विंग – VII, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली –110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय एवं सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : सै0क0नि0 5807/97 (अंश II)/660 /पटना–15, दिनांक 02 अगस्त ~~जुलाई~~ 2010

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रतियॉ उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : सै0क0नि0 5807/97 (अंश II)/660 /पटना–15, दिनांक 02 अगस्त ~~जुलाई~~ 2010

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली –110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट व्लॉक – IV, विग – VII, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली –110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय एवं सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित।

30.7.2010

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

संकल्प

विषय : युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान रू0 5,00,000/–(पांच लाख रूपये) से बढ़ाकर रू0 11,00,000/–(ग्यारह लाख रूपये) करने की स्वीकृति एवं उनके अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ करने के संबंध में।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे जुलाई, 1999 मे आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन मे लिए गये निर्णयानुसार विभिन्न राज्यों में सैनिकों की कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन मे एकरूपता लाने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात अगस्त, 1999 मे माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता मे केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक में अन्य बिन्दुओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा एक्शन में मारे गये सैनिकों को अनुग्रह अनुदान के रूप में राशि भुगतान करने हेतु नीति निर्धारण करने पर विचार करने का निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 660 दिनांक, 02.08.2010 से युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में बिहार निवासी शहीद सैनिक पदाधिकारी/सैनिक के निकटतम आश्रित को 1,00,000/–रू0 (एक लाख) रूपये मात्र की राशि का प्रावधान किया गया था, को सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 251 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा बढा कर 5,00,000/–रू0 (पांच लाख) रूपये मात्र किया गया था ।

2. देश की सम्प्रभुता एवं अखण्डता अक्षुण्ण रखने के लिए सैनिकों के बलिदान के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 251, दिनांक 04.03.2014 की कडिका '2' जिसमें युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 5,00,000/– रू0 (पाच लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान देने की स्वीकृति दी गई थी को संशोधित करते हुए युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थिति में मारे जाने वाले बिहार राज्य के निवासी सैनिक पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को 11,00,000/–रू0 (ग्यारह लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान देने एवं शहीद हुये सैनिक के पार्थिव शरीर के अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार (पुलिस सम्मान के साथ) करने का निम्नवत निर्णय लिया गया है :–

(क) शहीद के अंत्येष्टि पर हुये व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

(ख) शहीद जिस जिला के निवासी होगे अथवा उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जिस जिला में होगा वहाँ के जिला पदाधिकारी द्वारा अत्येष्टि में हुए व्यय का भुगतान किया जायगा।

(ग) राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किये जाने में जो राशि व्यय होती है, शहीदों के अंतिम संस्कार में राशि व्यय करने का आधार वही होगा। राजकीय सम्मान में किये जाने वाले व्यय के मद से हीं उक्त राशि का भुगतान संबधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

(घ) अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ सम्पन्न किया जायगा।

3. सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 660 दिनांक, 02.08.2010 एवं संकल्प संख्या 251 दिनांक, 04.03.2014 की कंडिका '2' को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। यह संशोधन दिनांक, 18.9.2016 से प्रभावी होगा। शेष शर्त्ते संकल्प संख्या 660 दिनांक, 02.08.2010 के अनुरूप होगी।

4. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें, लघु शीर्ष–092–अन्य कार्यालय उप शीर्ष–0002–स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद–मुख्यालय प्रभार माँग संख्या–22, विपत्र कोड–एन–2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई शीर्ष 31 02 अनुग्रह अनुदान मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियॉ महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–4, विंग नं0–7, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली–110066/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक : सै0क0नि0/21/08/2013/ 899 /पटना–23, दिनांक 11 नवम्बर 2016

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रतियॉ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक : सै0क0नि0/21/08/2013/ 899 /पटना–23, दिनांक 11 नवम्बर 2016

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक–4, विंग नं0–5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली–110066/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव,
11.11.16